न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सॉंगोद जिला कोटा।
बइजलास राजेश डागा (आर.ए.एस.)

मि0 नं0 /2022 दावा/बउनवान/शिवम वगैरा/महावीर वगैरा

1. शिवम नाबालिग पुत्र श्री महावीर जाति किराड निवासी सॉंगोद नाबालिग की वली माता श्रीमती राजकरन्ता आयु 26 साल पत्नी श्री महावीर जाति किराड निवासी सॉंगोद तहसील सॉंगोद जिला कोटा।
2. राजकरन्ता पत्नी श्री महावीर जाति किराड निवासी सॉंगोद तहसील सॉंगोद जिला कोटा।

—वादीगण—

—बनाम—

1. महावीर पुत्र श्री रामलाल जाति किराड निवासी सॉंगोद तहसील सॉंगोद जिला कोटा.
2. राज्य सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर तहसीलदार साहब सॉंगोद जिला कोटा।

—प्रतिवादीगण—

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

——:: निर्णय ::—— दिनॉक :— 12.12.2022

वादीगण ने इस न्यायालय में एक वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी कं. 1 के परदादा श्री धन्नालाल पुत्र श्री भैरूलाल जी से उत्तराधिकार में प्राप्त खसरा नंबर स्थित खसरा नंबर 403 की 2.63 हैक्टर आराजी वाके ग्राम जोगडा तहसील सांगोद में एवं खसरा नंबर 1738 रकबा 2.41 हैक्टर आराजी वाके ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित है जो वादी कं 1 के परदादा स्वर्गीय धन्नालाल जी से प्राप्त होने से अर्थात् वादी कं. 1 के पूर्वजों की पैत्तृक सम्पत्ति है जिसके राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी कं. 1 का हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है जिसमें वादी कं. 1 को अपने पिता प्रतिवादी कं. 1 व माता वादी कं. 2 के साथ समभाग में जन्मजात अधिकार हॉसिल है। इस प्रकार विवादग्रस्त आराजी में कानून [illegible] वादी कं. 2 का 1/6हिस्सा एवं प्रतिवादी कं. 1 का 1/6 हिस्सा नि[illegible] रूप से काबिज होकर काश्त भी कर रहे हैं किन्तु राजस्व रिकार्ड में [illegible] नहीं होने का [illegible] फायदा उठाकर प्रतिवादी कं. 1 स्वयं के नाम अंकित 1/2 हिस्सा आराजी को अन्य को [illegible] खुर्दबुर्द करके वादी कं. 1 को जन्मजाति अधिकार से प्राप्त हिस्सा आराजी से वंचित करने पर आमादा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.19 10:51:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

उक्त संबंध में गत सप्ताह वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रं. 1 से उसके नाम अंकित 1/2 हिस्सा आराजी में वादीगण का नाम अंकित करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी क्रं. 1 ने राजस्व रिकार्ड में नाम अंकित होने का फायदा उठाकर आराजी हिस्सा 1/2 सम्पूर्ण को बैचान करने की धमकी दी जिसमें यदि प्रतिवादी क्रं. 1 सफल हो जाता है तो वादीगण के भूखों मरने की नौबत आ जायेगी और वादीगण को को ऐसी अपरिमित क्षति होगी जिसकी भविष्य में कभी पूर्ति नहीं हो सकेगी। ऐसी स्थिति में वादीगण के लिए माननीय न्यायालय में अपने अधिकारों की घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वादकारण गत सप्ताह प्रतिवादी क्रं. 1 वादग्रस्त आराजी में स्वयं के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा आराजी को बैचान, खुर्दबुर्द करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ। भूमिधारी होने से लैण्ड होल्डर तहसीलदार सॉगोद को प्रतिवादी क्रं. 2 की हैसियत से पक्षकार बनाया गया है। अतः माल ग्राम जोगडा तहसील सॉगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 403 की 2.63 हैक्टर में प्रतिवादी क्रं. 1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा आराजी का, व ग्राम सॉगोद तहसील सॉगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 1738 रकबा 2.41 हैक्टर आराजी में प्रतिवादी क्रं. 1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा आराजी का वादीगण व प्रतिवादी क्रं. 1 को समभाग में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा माल ग्राम जोगडा तहसील सॉगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 403 की 2.63 हैक्टर आराजी एवं माल ग्राम सॉगोद तहसील सॉगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 1738 रकबा 2.41 हैक्टर आराजी में निहित वादीगण के हिस्सा 2/6 को प्रतिवादी क्रं. 1 राजस्व रिकार्ड में स्वयं का नाम अंकित होने का फायदा उठाकर किसी प्रकार से खुर्दबुर्द, रहन, दान, बैचान, हस्तान्तरण इत्यादि नहीं करें। वादीगण को संयुक्त कब्जेकाश्त से बेदखल नहीं करें। उक्त कृत्य न तो प्रतिवादी क्रं. 1 स्वयं करें, न ही अपने नौकरों, एजेन्टों अथवा अन्य व्यक्तियों से करावें।

वादीगण की ओर से उपरोक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने पर वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तलबी प्रतिवादी क्रं. 1 द्वारा इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत कर दावा वादीगण स्वीकार कर डिकी किये जाने का निवेदन किया तथा उभय पक्षकारों ने हाजिर अदालत होकर राजीनामा प्रस्तुत कर मुताबिक राजीनामा दावा डिकी करने का निवेदन किया। राजीनामा पक्षकारान तस्दीक किया गया। उभय पक्षकारों द्वारा दावा वादी डिकी करने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड, दस्तावेजात व पक्षकारों के अभिवचनों व राजीनामा पक्षकारान के आधार पर दावा वादीगण स्वीकार करना उचित समझता हूं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.19 10:51:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

अतः दावा वादीगण स्वीकार कर माल ग्राम जोगडा तहसील सॉंगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 403 की 2.63 हैक्टर में प्रतिवादी कं. 1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा आराजी का एवं ग्राम सॉंगोद तहसील सॉंगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 1738 रकबा 2.41 हैक्टर आराजी में प्रतिवादी कं. 1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा आराजी का वादीगण व प्रतिवादी कं. 1 को समभाग में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार अन्तिम डिकी मुर्तिब की जावे।

निर्णय आज दिनॉक 12.12.2.2022 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश डागा)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)
उपखण्ड अधिकारी
सॉंगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.19 10:51:03 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकदमा इस्तदाई
(आर्डर 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा
बइजलास – राजेश डागा (आर.ए.एस.)

मि0 नं0 /2022 दावा/बउनवान/शिवम वगैरा/महावीर वगैरा

1. शिवम नाबालिग पुत्र श्री महावीर जाति किराड निवासी सॉगोद नाबालिग की वली माता श्रीमती राजकरन्ता आयु 26 साल पत्नी श्री महावीर जाति किराड निवासी सॉगोद तहसील सॉगोद जिला कोटा।
2. राजकरन्ता पत्नी श्री महावीर जाति किराड निवासी सॉगोद तहसील सॉगोद जिला कोटा।

–वादीगण–

–बनाम–

1. महावीर पुत्र श्री रामलाल जाति किराड निवासी सॉगोद तहसील सॉगोद जिला कोटा,
2. राज्य सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर तहसीलदार साहब सॉगोद जिला कोटा।

–प्रतिवादीगण–

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0 टी0 एक्ट, मि.नं. /2022

तारीख फैसला दिनांक 12.12.2022 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ....वहाजरी वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू पेरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि ... दावा वादीगण स्वीकार कर माल ग्राम जोगडा तहसील सॉगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 403 की 2.63 हैक्टर में प्रतिवादी कं. 1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा आराजी का एवं ग्राम सॉगोद तहसील सॉगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 1738 रकबा 2.41 हैक्टर आराजी में प्रतिवादी कं. 1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा आराजी का वादीगण व प्रतिवादी कं. 1 को समभाग में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज ———— मुबलिग ———— बाबत ———— खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह ———— फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ———— का अदा करे। सब मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज तारीख 12.12.2022 को जारी की गई।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद (कोटा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

मुदई	रूपया	पैसे	मुददायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी			[illegible]		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.19 10:51:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद (कोटा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद